राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 823वीं बैठक दिनांक 29.12.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9836/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9757/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	5809/2018	1(a)	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9527/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
5.	10293/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10322/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10137/2023	1(a)	मिट्टी खदान	For Delist	Relist & Sent to SEAC
8.	9439/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	8830/2021	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relist & Sent to SEAC
10.	10403/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	10408/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	10498/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	8993/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
14.	10412/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	10252/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	10022/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	**Release of Bank Guranteees submitted in MPPCB against the cases not obtaining for prior Environment Clearance reported & issued by MPSEIAA to CREDAI members for their real estate projects**				

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023 का कार्यवाही विवरण

1. **प्रकरण क्र 9836/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नि श्री शम्भू सिंह निवासी– ग्राम फुलवारी, पोस्ट पोंडी, नौगई जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35625 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 291, 293/1, 293/3, 294, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 819वीं बैठक दिनांक 06.12.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार जानकारी सहित उपस्थित होवें :–***

1. *क्लस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के Site Specific क्लस्टर इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन प्रतिबद्धता सहित एवं ईआईए प्रतिवेदन में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुतीकरण किया जाये।*

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशिल्या देवी एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green Circle Inc, Vadodara प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **सिंगरौली जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 13 वृक्षों में से काटे जाने वाले 06 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 60 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें एवं खदान क्षेत्र में बचे शेष वृक्षों का भी संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नि श्री शम्भू सिंह निवासी– ग्राम फुलवारी, पोस्ट पोंडी, नौगई जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35625 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 291, 293/1, 293/3, 294, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 1184 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

2. प्रकरण क्र 9757/2023 **परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिंगरौली मिनरल्स प्रोडक्ट प्रा.लि. निदेशक, श्री नारायण दास वैश्य, निवासी गदसा, पोस्ट पोंडी नौगई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 290, 291, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 819वीं बैठक दिनांक 06.12.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार जानकारी सहित उपस्थित होवें :–***

*1. क्लस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के **Site Specific** क्लस्टर इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन प्रतिबद्धता सहित एवं ईआईए प्रतिवेदन में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुतीकरण किया जाये।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री नारायण दास वैश्य एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green Circle Inc, Vadodara प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 696वी बैठक दिनांक 22.11.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **सिंगरौली जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 16 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें एवं खदान क्षेत्र में बचे शेष वृक्षों का भी संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिंगरौली मिनरल्स प्रोडक्ट प्रा.लि. निदेशक, श्री नारायण दास वैश्य, निवासी गदसा, पोस्ट पोंडी नौगई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 290, 291, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 1184 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण क्र 5809/2018 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्पण इन्टरप्राईजेज़, प्रोपराईटर, श्री विश्वास पंवार, निवासी 100 विकास नगर, स्कीम नं. 14/4, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 51832 टन प्रतिवर्ष व सेलेबल वेस्ट मटेरियल मुरूम 5000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 24.093 हेक्टेयर, खसरा 2214/3 भाग, ग्राम कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"........... प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उन्होन कलेक्टर नीमच से संपर्क किया जिन्होने उनको तहसीलदार के पास प्रस्ताव पर कंसेंट हेतु संपर्क करने को कहा तहसीलदार ने पत्र कमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के माध्यम से अवगत कराया है कि वे मेसर्स अपर्ण इंटरप्राइजेज को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेगे तथा सामाजिक पर्यावरण एवं पशुपालन में सहयोग हेतु विभाग अपनी सहमति प्रदान करता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा श्री माधव गौशाला, आगर से भी अनापत्ति प्राप्त किया गया है । समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने तहसीलदार के पत्र कमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के विभाग की सहमति प्राप्त की है ***किंतु उनको सिया द्वारा चाही गई पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति अभी प्राप्त नही हुई है चूंकि प्रकरण काफी समय से लंबित है अतः प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।***

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEIAA की 768वी बैठक दिनांक 31.01.2023 में लिये गये निर्णय एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा अनुसार प्रकरण में पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति तथा अभिप्रमाणीकरण 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आगर–मालवा का पत्र क्र. 1018 दिनांक 15.12.2023 कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्पण इन्टरप्राईजेज़, प्रोपराईटर, श्री विश्वास पंवार, निवासी 100 विकास नगर, स्कीम नं. 14/4, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 51832 टन प्रतिवर्ष व सेलेबल वेस्ट मटेरियल मुरूम 5000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 24.093 हेक्टेयर, खसरा 2214/3 भाग, ग्राम कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर, आगर–मालवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 11.10.2019 अनुसार लीज की वैधता दिनांक 11.10.2019 से 10.10.2049 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.10.2049 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

✓

4. **प्रकरण क्र. 9527/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम सांईं स्टोन प्राइवेट लि0, पार्टनर श्री संजय जैन आत्मज स्व. श्री उग्रसेन जैन, निवासी सी-505, मिक्स टावर, डी.बी. भाहर, जिला ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.150 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 680वी बैठक दिनांक 15.09.2023 की अनुशंसा अनुसार **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसके परिपालन में दिनांक 06.10.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 31.10.2023 में परियोजना प्रस्तावक का नाम टंकण त्रुटिवश मेसर्स ओम सांई स्टोन के स्थान पर मेसर्स ओम सांई स्टोन प्रा.लि. अंकित हो गया है। जिसे ओम सांई स्टोन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिसके उपरांत पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनाक 06.10.2023 में मेसर्स ओम सांई स्टोन प्रा.लि. के स्थान पर मेसर्स ओम सांई स्टोन पठन किये जाने हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2023 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ।

5. **प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण **Delist** किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित),

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी–2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

> ***राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलम्गन रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।***

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉं से शुरू हो रही है और जहॉं पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.81 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी–2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

7. **Case No 10137/2023** Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolherra, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP) by Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 819वीं बैठक दिनांक 06.12.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 695वी बैठक दिनांक 21.11.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"..........The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

***In light of the above cases mentioned on S. No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 and 14 are proposed to be delete, however, the cases in which reply has been submitted i.e. S. No. 2, 5, 9, 10 and 12** shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक ई–मेंल दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9439/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पूजा मिनरल्स, संचालक श्री नरेंद्र सिहारे, निवासी – तिलक वार्ड, वार्ड नं. 20, सिविल लाइन, जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 16517 टीपीए एवं ओवरबर्डन 2660 टीपीए, रकबा 1.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 846/2, 846/3, 847/2, ग्राम मुगदरा तहसील नैनपुर जिला मंडला (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 692वी बैठक दिनांक 19.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 817वीं बैठक दिनांक 10.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान निजी भूमि पर स्वीकृत है जिसका भू–स्वामी गौंड जनजाति का है। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी कलेक्टर, मण्डला के समक्ष उपस्थिति होकर भू–स्वामी की सहमति को कलेक्टर मण्डला से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए सशर्त

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 692वी बैठक दिनांक 22.11.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03/02/2020 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पूजा मिनरल्स, संचालक श्री नरेंद्र सिहारे, निवासी – तिलक वार्ड, वार्ड नं. 20, सिविल लाइन, जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 16517 टीपीए एवं ओवरबर्डन 2660 टीपीए, रकबा 1.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 846/2, 846/3, 847/2, ग्राम मुगदरा तहसील नैनपुर जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 15.06.2017 अनुसार दिनांक 05.11.2007 से 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 8830/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित शर्मा, पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी दाना ऑयल न्यू सराफा, लश्कर, जिला ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (पत्थर– 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 1.000 हे0, खसरा क्रमांक 3921, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 803वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

समिति द्वारा प्रकरणो के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रायः यह देखा जाता है कि जो टॉर बिंदु सेक द्वारा अनुसंशित किये जाते है वे टॉर बिंदु सिया द्वारा पूर्णतः शामिल नही किये जाते है । प्रस्तुत प्रकरण 8830/21 में बिंदु कमांक 16,17,19 एव 22 बिंदुओ पर परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 647वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा जब तक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती तक तक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक ई–मेंल दिनांक 25.12.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 10403/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,690 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–3, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वी बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 818वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

..................उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र चंदेल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी Parivesh Environmental Engineering Services Lucknow प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में दी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उक्त खदान स्वीकृति न किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन वर्तमान अवधि में खनन कार्य पूर्ण होने तक ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मेंहदी से ग्राम सभा द्वारा नवीन ठहराव प्रस्ताव पारित करने के उपरांत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में ग्राम पंचायत मेंहदी की अनापत्ति प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 685वी बैठक दिनांक 03.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,690 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–3, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 10408/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,830 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–1, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वी बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 818वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

..................उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र चंदेल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी Parivesh Environmental Engineering Services Lucknow प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में दी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उक्त खदान स्वीकृति न किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन वर्तमान अवधि में खनन कार्य पूर्ण होने तक ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मेंहदी से ग्राम सभा द्वारा नवीन ठहराव प्रस्ताव पारित करने के उपरांत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में ग्राम पंचायत मेंहदी की अनापत्ति प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 685वी बैठक दिनांक 03.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,830 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–1, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. प्रकरण क्र. 10498/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय **पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्तावित खदान भी ग्राम मेंहदी में है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की ओर से परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र चंदेल एवं श्री बुरहानउद्दीन दलाल ग्राम पंचायत मेंहदी की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 685वी बैठक दिनांक 03.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण कमांक 8993/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह आत्मज श्री महेन्द्र सिंह, निवासी – मकान न. 752 जखौरा, तहसील एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, खसरा नं. 443/1, रकबा 3.292 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 23,256 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम लहदपुर, तहसील ईशागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें सिर्फ सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर है किन्तु अन्य ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक उक्त ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव के पंजीयन रजिस्टर जिसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर है की प्रति प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित ठहराव प्रस्ताव का पंजीयन रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 674वी बैठक दिनांक 02.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते

(सुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जलाशय से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार **हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह आत्मज श्री महेन्द्र सिंह, निवासी – मकान न. 752 जखौरा, तहसील एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, खसरा नं. 443/1, रकबा 3.292 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 23,256 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम लहदपुर, तहसील ईशागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अशोकनगर द्वारा पत्र क्र. 659 दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

14. प्रकरण क्र. 10412/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 03, ग्राम लचायरा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 813वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा के साथ निम्नानुसार अंकित किया गया......

ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव कमांक–17 दिनांक 12/07/23 अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई रेत ओपिन स्थिति में नहीं है न ही मौके पर कोई खदान है । पूर्व में बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन् किया जाता रहा है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना उचित नहीं है ।

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा अनुसार ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर, जिला विदिशा से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं ? तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

उक्त प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा से पत्र क्र. 2356 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी दिनांक 21.12.2023 को प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर से प्राप्त अभिमत को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. **प्रकरण क्र. 10252/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रमनदीप मारवाहा आत्मज श्री अमरजीत सिंह, मालिक, निवासी 1925, रामसिंह बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मस्तना चौक, रांझी, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 23,723 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 9852 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.44 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 114, 116पी, ग्राम मड़ई, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 679वी बैठक दिनांक 14.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"..................राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष उपस्थिति होकर भू–स्वामी की सहमति को कलेक्टर जबलपुर से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 1215 दिनांक 13.12.2023 से भू–स्वामी की सहमति कलेक्टर जबलपुर से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 679वी बैठक दिनांक 14.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **जबलपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–दस्तावेजों के अनुसार खदान का भू–स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है। अतः जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी की उपस्थिति में भू–स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री रमनदीप मारवाहा आत्मज श्री अमरजीत सिंह, मालिक, निवासी 1925, रामसिंह बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मस्तना चौक, रांझी, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 23,723 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 9852 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.44 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 114, 116पी, ग्राम मड़ई, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जबलपुर द्वारा पत्र क्र. 284 दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

16. **प्रकरण क्र. 10022/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा, निवासी ग्राम बैरागढ़, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,889 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 784/1, ग्राम कांकरिया मीणा, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 818वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"..................परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से प्रकरण में परिवहन मार्ग मानचित्र पर एवं परिवहन मार्ग में आ रही निजी भूमि के भू–स्वामियों की सहमति शपथ पत्र पर प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परीक्षण कर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के चारो ओर निजी कृषि भूमि परिलक्षित है तथा उक्त खदान के चारो ओर कृषि भूमि स्थित है। अतः कलेक्टर राजगढ़ से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि भू–स्वामियों की सहमति सहित प्रस्तावित खदान के 500 मीटर में खनन संक्रिया

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

*जिसमें मुख्यतः खनिज परिवहन से पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों एवं कृषकों की भूमि के संरक्षण के दृष्टिगत क्या इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं ? तबतक प्रकरण को यथावत **Delist** रखा जाता है।"*

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के पत्र क्र. 1115 दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला** सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित **प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की** जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित **करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा, निवासी ग्राम बैरागढ़, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,889 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 784/1, ग्राम कांकरिया मीणा, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), राजगढ़ द्वारा पत्र क्र. 268 दिनांक 12.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

17. Release of Bank Guranteees submitted in MPPCB against the cases not obtaining for prior Environment Clearance reported & issued by MPSEIAA to CREDAI members for their real estate projects.

अध्यक्ष, क्रेडाई मध्य प्रदेश का पत्र (दिनांक 27.12.2023) प्राप्त हुआ है जिसमें प्राधिकरण द्वारा 806वी बैठक दिनांक 21.09.2023 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में पुर्नविचार हेतु अनुरोध किया गया है तदानुसार :-

"Thereafter MOEF&CC regional office has issued a compliance certificate confirming all the points mentioned in the remediation plan which was issued by SEIAA while granting us EC, have been completed and complied with quite some time back to most of the CREDAI members.

Surprisingly even after MoEF&CC's recommendation to MP-SEIAA for release of bank guarantees of our fellow CREDAI members, we feel sorry to inform that MP-SEIAA has asked SEAC to further verify the compliance of these projects which not only has created much delay in release but would be a duplication of the effort, as MoEF&CC has already done this process of verification and certification.

We request you to intervene and help us get the Bank Guarantees released immediately which would stop waste of valuable time & further loss to the Government exchequer by stopping this duplication of effort to get the verification done again & again."

प्राधिकरण द्वारा 806 SEIAA बैठक दिनांक 21.09.23 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-

पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी राजपत्र सं. 1030 (ई) दिनांक 08 मार्च 2018 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार

"(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as ***the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.".***

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

उक्त अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार SEAC बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने सम्बंधित प्रेषित प्रत्येक परियोजनाओं में स्थल निरिक्षण कर स्पष्ट रूप से बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने की अनुशंसा करे। उक्त निर्णित कार्यवाही के संबंध में **SEAC** को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।

अध्यक्ष, क्रेडाई मध्य प्रदेश के अनुरोध एवं प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्णित कार्यवाही पर प्रकरणों में निराकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण को देखते हुए विस्तृत चर्चा एवं पुर्नविचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि Violation के प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावकों को बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने एवं उनके द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर अथवा स्थल की संवेदनशीलता के दृष्टिगत SEAC को पुनः स्थल निरिक्षण की आवश्यकता प्रतीत हो तो SEAC द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाने के उपरांत बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा SEAC द्वारा की जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः** परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की** ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन **दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों** का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से **परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय** कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **को भी प्रेषित किया जाये।**
2. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर **SEIAA** एवं **SEAC** के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. **SEIAA** द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेबल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा** एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :–

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष